D — जिला प्रशासन, कल्याण एवं भागीदारी

जिला कलेक्ट्रेट / जिला प्रशासन

यह संस्थान क्या है

जिला कलेक्ट्रेट जिला प्रशासन का मुख्यालय है, जिसका नेतृत्व जिला कलेक्टर (जिसे राज्य के अनुसार जिलाधिकारी (District Magistrate) अथवा उपायुक्त (Deputy Commissioner) भी कहा जाता है) करते हैं। कलेक्टर जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी भी होते हैं, जो भू-राजस्व संग्रह, भू-अभिलेखों के रखरखाव, नामांतरण, भूमि अधिग्रहण तथा राज्य भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों की अध्यक्षता के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक केंद्रीय एवं राज्य योजना, प्रत्येक कानून-व्यवस्था का निर्णय तथा प्रत्येक अंतर-विभागीय समन्वय कार्य यहीं अभिसरित होता है। कलेक्टर किसी भी जिला अधिकारी को बुला सकते हैं, लगभग प्रत्येक जिला-स्तरीय समिति की अध्यक्षता करते हैं, तथा जिले की लगभग हर योजना के लिए धनराशि के निर्गमन को नियंत्रित करते हैं। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि अपने जिले में शासन कैसे चलता है, तो प्रारंभ-बिंदु यही है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आपको किसी भी समस्या के लिए सही सरकारी कार्यालय खोजना है — एक रुकी हुई छात्रवृत्ति, गुम हुआ प्रमाण पत्र, अथवा कोई योजना जिस तक आप पहुँचना चाहते हैं — तो कलेक्ट्रेट वह स्थान है जहाँ सभी जिला अधिकारी या तो स्थित हैं अथवा जहाँ से उन तक पहुँचा जा सकता है, और जहाँ सार्वजनिक शिकायत सुनवाई होती है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 (जुलाई 2024 से प्रभावी; सीआरपीसी का स्थान लिया)	जिलाधिकारी के कार्य — कानून-व्यवस्था, कार्यपालक मजिस्ट्रेसी
आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए), 2005	कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005	कलेक्ट्रेट में लोक सूचना अधिकारी (PIO)
DISHA दिशानिर्देश	सांसद-अध्यक्षित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति
राज्य भू-राजस्व संहिताएँ (राज्य-विशिष्ट, उदाहरणार्थ महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966, यूपी राजस्व संहिता 2006)	कलेक्टर राजस्व प्रशासन के प्रमुख होते हैं: भू-अभिलेख, नामांतरण, अधिग्रहण, राजस्व न्यायालय
आयुध अधिनियम 1959 + आयुध नियम 2016	जिलाधिकारी जिले में शस्त्र लाइसेंसों के लिए नामित लाइसेंसिंग प्राधिकारी होते हैं: आवेदन प्राप्त करते हैं, जाँच करते हैं, स्वीकृति/अस्वीकृति देते हैं
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (§13AA) तथा 1951 (§20A)	कलेक्टर/जिलाधिकारी नामित जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं: मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के अधीन सभी संसदीय एवं राज्य-विधानमंडल चुनावों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करते हैं
राज्य लोक सेवा का अधिकार अधिनियम	नागरिक सेवाओं हेतु अनिवार्य समय-सीमाएँ

- **केंद्र:** विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय जिला स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं का वित्त-पोषण करते हैं
- **राज्य:** राज्य सरकार → संभागीय आयुक्त → जिला कलेक्टर / जिलाधिकारी / उपायुक्त
- **जिला:** अपर जिलाधिकारी (ADM), उप-मंडल अधिकारी (SDM) तथा रेखा-विभागों के जिला-स्तरीय अधिकारी

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
जिला कलेक्टर / जिलाधिकारी / उपायुक्त	जिले के प्रमुख — समग्र प्रशासन, कानून-व्यवस्था, योजना समन्वय
अपर जिलाधिकारी (ADM)	विशिष्ट विभाग सँभालते हैं: प्रायः वित्त/राजस्व तथा विकास/प्रोटोकॉल
उप-मंडल अधिकारी (SDM)	कलेक्टर के अधीन क्षेत्र-स्तरीय निष्पादक: उप-मंडल राजस्व प्रशासन, बीएनएसएस के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेसी, प्रमाण पत्र, तहसील-स्तरीय मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
विकास-पक्ष अधिकारी (यूपी/उत्तराखंड में मुख्य विकास अधिकारी / CDO, बिहार में उप विकास आयुक्त / DDC, अन्य राज्यों में समकक्ष पद)	जिले के विकास पक्ष का नेतृत्व: विकसित भारत- जी राम जी (VB-G RAM G), ग्रामीण विकास, खंड-स्तरीय योजनाएँ
जिला कार्यक्रम अधिकारी	रेखा-विभागों के अधिकारी (जिला समाज कल्याण अधिकारी / DSWO, DIO, DLEO) जिनके कार्यालय कलेक्ट्रेट के अंदर अथवा निकट होते हैं
जन शिकायत / जनसुनवाई प्रकोष्ठ	नागरिकों की शिकायतों पर कार्यवाही करता है

अनिवार्य सेवाएँ

- जिला स्तर पर केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन (विकसित भारत- जी राम जी (VB-G RAM G) / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), PMAY, PMJDY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), छात्रवृत्तियाँ)
- स्थानीय कौशल प्रशिक्षण योजना के लिए PMKVY के अन्तर्गत जिला कौशल समिति की अध्यक्षता
- केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु DISHA बैठकें आयोजित करना
- नागरिकों की शिकायतों के लिए जनसुनवाई / सार्वजनिक सुनवाई दिवस संचालित करना, साथ ही केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS तथा राज्य पोर्टलों के माध्यम से
- अंतर-विभागीय मामलों के लिए सभी जिला कार्यालयों का समन्वय
- ऑनलाइन प्रमाण पत्र एवं आवेदन प्रसंस्करण के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का प्रशासन
- राजस्व प्रशासन: भू-अभिलेखों का रखरखाव एवं डिजिटलीकरण (DILRMP), ड्रोन-आधारित आबादी सर्वेक्षण के अन्तर्गत स्वामित्व योजना (SVAMITVA) के अधीन ग्रामीण संपत्ति कार्डों का जारी होना, नामांतरण, तथा LARR Act 2013 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की §31 के अन्तर्गत जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) तैयार करना, अनुमोदित करना एवं क्रियान्वित करना; तथा जिला-स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करना
- जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में जिले में सभी संसदीय एवं राज्य-विधानमंडल चुनाव संचालित करना
- नागरिक चार्टर प्रकाशित करना जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, मानक तथा समय-सीमाएँ सूचीबद्ध हों (DARPG ढाँचा, राज्य लोक सेवा का अधिकार अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक समय-सीमाओं का पूरक)

संबंधित योजनाएँ

- **PMKVY / स्किल इंडिया** — कलेक्टर जिला कौशल समिति की अध्यक्षता करते हैं
- **VB-G RAM G** — मुख्य विकास अधिकारी / कलेक्टर जिला क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं
- **PMAY (शहरी एवं ग्रामीण)** — कलेक्टर लाभार्थी चयन तथा धनराशि के निर्गमन की निगरानी करते हैं
- **छात्रवृत्ति योजनाएँ** — DSWO कलेक्ट्रेट की निगरानी में कार्य करते हैं
- **ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ** — ऑनलाइन प्रमाण पत्र एवं आवेदन कलेक्ट्रेट के प्राधिकार में संसाधित होते हैं
- **DILRMP (डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम):** कलेक्टर/उपायुक्त भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण, पंजीकरण एकीकरण तथा आधुनिक रिकॉर्ड कक्षों के लिए जिला रिपोर्टिंग प्राधिकारी होते हैं
- **SVAMITVA:** ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण जो विधिक संपत्ति कार्ड जारी करता है; राज्य राजस्व/भू-अभिलेख विभाग नोडल विभाग है, तथा कलेक्टर जिला रोल-आउट की देखरेख करते हैं

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: जिले की वेबसाइट [districtname].nic.in — अधिकारी सूची, संपर्क संख्या तथा हाल के आदेश

इसके अतिरिक्त: कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय कस्बे का सबसे प्रमुख सरकारी भवन होता है

प्रमुख सुविधाएँ

एक कलेक्ट्रेट में होना चाहिए: एक सार्वजनिक सूचना बोर्ड जिसमें सभी जिला अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा कक्ष संख्याएँ सूचीबद्ध हों; एक क्रियाशील रिसेप्शन या हेल्पडेस्क; सुलभ एवं नामांकित कार्यालय; तथा एक जनसुनवाई / शिकायत प्रकोष्ठ जो नियत दिनों पर जनता के लिए खुला हो।

एक क्रियाशील कलेक्ट्रेट कैसा दिखता है

- जिला कौशल समिति की पिछले छह महीनों में बैठक हुई हो तथा कार्यवृत्त उपलब्ध हो
- जनसुनवाई / सार्वजनिक शिकायत दिवस वास्तव में नियत दिन पर हो रहा हो
- एक सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर सभी जिला अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा कक्ष संख्याएँ सूचीबद्ध हों
- एक युवा व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत संपर्क के अंदर जाकर सही कार्यालय खोज सके
- ई-डिस्ट्रिक्ट तथा ऑनलाइन सेवाएँ वास्तव में संसाधित हो रही हों — केवल लोगों को भौतिक कतारों की ओर मोड़ी न जा रही हों
- DISHA बैठक के अभिलेख उपलब्ध हों तथा योजना क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा दर्शाते हों

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु कलेक्ट्रेट का जन शिकायत अधिकारी / जनसुनवाई प्रकोष्ठ है। लोक सूचना अधिकारी (PIO) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के अन्तर्गत आवेदनों को सँभालते हैं। जनसुनवाई के दिन एक सार्वजनिक, समय-बद्ध मंच होते हैं।

सेवा के बाद। आगे की कार्यवाही संभागीय आयुक्त (प्रशासनिक मामलों के लिए) तथा राज्य सरकार (मुख्य सचिव / विभागीय सचिव) तक होती है। योजना-विशिष्ट शिकायतों के लिए संबंधित राज्य रेखा-विभाग अगला स्तर है।

बाहरी। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS (pgportal.gov.in) केंद्र का एकीकृत शिकायत पोर्टल है तथा प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करता है। राज्य शिकायत पोर्टल (जनसुनवाई यूपी, समाधान एमपी, संपर्क राजस्थान, हरसमाधान हरियाणा, बिहार RTPS) राज्य-स्तरीय शिकायतें स्वीकार करते हैं। राज्य लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (राज्य-विशिष्ट) अपील संरचनाओं के साथ समय-बद्ध सेवा वितरण की गारंटी प्रदान करते हैं। राज्य सूचना आयोग आरटीआई के अन्तर्गत अपीलें सँभालता है।

—